जापान का सबसे गहरा रेल्वे स्टेशन "दोआई" निश्चित रुप से बेहद डरावना भी है। गुनमा प्रांत का यह स्टेशन, गर्म चश्मे वाले शहर, मीनाकामी के पास शीमीज़ू सुरंग में बहुत गहराई में है। शीमीज़ू कभी जापान की सबसे लम्बी सुरंग हुआ करती थी। वर्ष 1931 में जब यह सुरंग बनी थी तो टोक्यो से नीगाता के बीच की दूरी चार घंटे कम हो गई थी। दोआई स्टेशन से ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों को प्रवेशद्वार से 70 मीटर नीचे गहराई में जाना पड़ता है। इसलिए यह जापान का सबसे गहरा रेल्वे स्टेशन कहलाता है। इससे पहले यह उपाधि होकायडो के योशीओका-काइतेई स्टेशन के पास थी, जो 2014 में बंद हो गया। दोआई का डिज़ाईन बहुत अनूठा है। इसमें दो पृथक सिंगल साइड प्लेटफॉर्म हैं जो अलग- अलग ऊंचाई पर बने हैं। दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म प्रवेशद्वार से कुछ सीढ़ी उतरते ही है और उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनों वाले प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के लिए एक गहरी सुरंग से होकर जाना पड़ता है। यह रास्ता बहुत ठंडा और गुफा जैसा है तथा प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए 486 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो बहुत तेज हवा आती है। इसकी एक और अजीब बात यह है कि, यह एक अनमैन्ड स्टेशन है, अर्थात् यहां टिकट चैक करने तक के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। यात्रियों से ज्यादा यहाँ "गोस्ट हंटिंग" के शौकीन पर्यटक आते हैं।

एकल पट्टा प्रकरण में यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल को राहत

जयपुर 15 नवम्बर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ए.सी.बी. कोर्ट में चल रही प्रोटैस्ट पिटिशन समेत अन्य आपराधिक कार्रवाई को शांति धारीवाल की हद तक रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, प्रकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, ऐसे में यदि उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी गई तो वह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश शांति धारीवाल की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

■ **राजस्थान हाई कोर्ट ने ए.सी.बी. कोर्ट की कार्रवाई रद्द करने के आदेश दिए।**

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, एफ.आई.आर में याचिकाकर्ता शांति धारीवाल का नाम नहीं है। नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) के प्रमुख सचिव ने एकल पट्टा की फाइल यूडीएच मंत्री के समक्ष रखी थी, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के तहत परीक्षण के बाद वापस विभाग में भेजा गया। वहीं जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर शैलेन्द्र गर्ग को जारी एकल पट्टा भी निरस्त कर दिया है।

मामले में रामशरण सिंह की शिकायत पर तत्कालीन जोन उपायुक्त ओंकारमल सैनी, निष्काम दिवाकर, यूडीए के पूर्व सचिव जी.एस. संधू और शैलेन्द्र गर्ग के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं रखी गई। ए.सी.बी. कोर्ट की ओर से 3 मार्च 2016 को लिए प्रसंज्ञान में भी एक शब्द भी यूडीएच मंत्री के खिलाफ नहीं लिखा गया।

एसीबी की प्रगति रिपोर्ट में भी याचिकाकर्ता का अपराध प्रमाणित नहीं माना। एसीबी द्वारा 7 जुलाई 2021 को पेश एफ.आर. में भी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में एसीबी कोर्ट ने मामले की अग्रिम जांच के आदेश गलत दिए है।

याचिका में कहा गया कि, ए.सी.बी. कोर्ट ने गत 13 जून 2019 और 7 जुलाई 2021 की क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त करते हुए कुछ बिन्दुओं पर अग्रिम जांच के आदेश दिए थे। एकल पट्टा प्रकरण के वक्त भी शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री थे, इसके बाद भी प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई थी। यूडीएच विभाग ने एकल पट्टे के लिए 1 अप्रैल 2011 को स्वीकृति दी थी। जिसके आधार पर जेडीए ने 29 जून 2011 को पट्टा जारी किया था, लेकिन पट्टे में रही त्रुटि के कारण 10 मई 2013 को पट्टा निरस्त कर दिया। इसके बावजूद डेढ़ साल बाद एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर., प्रथम और पूरक चार्जशीट के साथ ही पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट में शांति धारीवाल का नाम नहीं था। इसके बावजूद परिवादी ने गत 3 जनवरी को प्रोटैस्ट प्रार्थना पत्र पेश कर याचिकाकर्ता को आरोपी बनाने की प्रार्थना की। जिस पर सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल 2022 को ए.सी.बी. कोर्ट ने कुछ बिन्दुओं पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से अग्रिम जांच के आदेश दे दिए।

राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन करते हुए कहा कि, जांच में शांति धारीवाल के खिलाफ अपराध साबित नहीं था। ए.सी.बी. ने सह आरोपियों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था, लेकिन ए.सी.बी. कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जिसकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है।

एमेज़ॉन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस नये हमले के अन्तर्गत, ऑर्गनाइज़र ने अपनी कवर स्टोरी में आरोप लगाया है कि "अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च" (ए.बी.एम.) नामक एक संगठन से कंपनी के वित्तीय संबंध हैं जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में "धर्म-परिवर्तन अभियान" चलाना है। पत्रिका ने आरोप लगाया है कि ए.बी.एम., ऑल इंडिया मिशन (ए.आई.एम.) नामक एक मोर्चा चला रहा है, जिसने पूर्वोत्तर में 25,000 लोगों का धर्मान्तरण करके उन्हें ईसाई बना दिया है। एमेज़ॉन ने इन आरोपों का खण्डन किया है तथा कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एमेज़ॉन इंडिया का ए.आई.एम. या इससे सम्बद्ध संगठनों से कोई संबंध नहीं है।

प्रसंगवश बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के एक संगठन ने नैशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स" (एन.सी.पी.सी.आर.) के पास शिकायत भेजी थी कि इस सीमावर्ती राज्य में धर्मान्तरण किया जा रहा है। इसके बाद, आयोग ने एमेज़ॉन के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जाँच चला रखी है।

टी.आर.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोप लगाया गया था कि यह कंपनी उपचुनाव के दौरान मुनुगोडे चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का पैसा बाँटा करती थी।

जी.एस.टी. अधिकारियों ने कथित रूप से कम्पनी के अधिकारियों से कुछ वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ की और जांच के लिए कम्पनी के बही खाते जब्त कर लिए और कम्पनी के ऑडिटर्स को भी सम्मन भेजा।

कहा जा रहा है कि ये रेड्स राज्य के कल्याण मंत्री गांगुला कमलाकर पर ई.डी. रेड्स के प्रतिकार में डाली गई है, आरोप है कि वे ग्रेनाइट स्कैम में लिप्त हैं।

मुनुगोडे उपचुनाव में भाजपा की कड़ी टक्कर से परेशान टी.आर.एस. नेतृत्व ने पार्टी को मजबूत बनाना शुरु कर दिया है। ताकि भाजपा की ग्रोथ पर नियंत्रण लगाया जा सके। मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव यहां के विकास के राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की वजह से हुए थे। वे उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे।

ऐसे समय में जब भाजपा को विभिन्न राजनैतिक दलो के नेताओं के आगमन स्थल पर में देखा जा रहा है, और इसे टी.आर.एस. का विकल्प माना जा रहा है। इसलिए पार्टी इस अवधारणा को तोड़ने के लिए भाजपा के नेताओं को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस सम्बंध में टी.आर.एस. अपने उन नेताओं को वापस लाने के प्रयास में है जो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। उन्हें सरकार में ऊंचे पद की पेशकश की जा रही है। टी.आर.एस. ओर भाजपा नेताओं ने इस स्थिति पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।

समझा जाता है कि वार्ता अग्रिम दौर में है। पता चला है कि भाजपा मुख्यालय ने तेलंगाना के अपने वरिष्ठ नेताओं को इन हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया है।

इसी बीच टी.आर.एस. और भाजपा के बीच राजनैतिक टकराव ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री के.सी.आर. राजनैतिक शिष्टाचार निभाना भी भूल गए हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य के दौरे पर आएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करने का शिष्टाचार तक नहीं निभाया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के हैदराबाद आने पर वे उनसे नहीं मिले थे।

'भारत जोड़ो यात्रा ने "असली" राहुल गांधी को दुनिया के सामने पेश किया है'

जयराम रमेश ने कहा कि, भाजपा ने सोशल मीडिया के मार्फत राहुल गांधी की गलत छवि पेश कर दी थी, अब वही सोशल मीडिया कह रहा है कि, यह राहुल गांधी वो नहीं हैं जैसा 70 दिन पहले थे

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। पिछले 2 महीनों से ज्यादा दिनों से चली आ रही भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र में शुरु हो चुकी है। राहुल गांधी की इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता समेत ब्लॉक के कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के अनुसार, इस पदयात्रा को जनता के के द्वारा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसी बीच आज कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि, इस यात्रा से असली राहुल गांधी जनता के सामने आए हैं।

■ **जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी कोई ब्रैण्ड नहीं है जिसकी रीब्रैण्डिंग करनी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि सामने रखी है, वही असली राहुल गांधी हैं।**

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी के अगुवाई में पूरे देश में की जा रही यात्रा का किसी भी राज्य के चुनाव से कोई संबंध नहीं है और अगर इसके प्रभाव का आंकलन करना है तो यह 2024 के लोकसभा चुनाव में ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कहा कि, राहुल गांधी डेटॉल या फेविकोल ब्रांड नहीं हैं कि उन्हें फिर से रीब्रांडेड करना पड़े। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले भाजपा ने उनकी खास छवि बना दी थी, खासकर सोशल मीडिया पर। इसने कभी भी सही राहुल गांधी को चित्रित नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा नए राहुल गांधी को नहीं, असली राहुल गांधी को दिखा रही है।

जयराम रमेश के अनुसार, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि में पूरी तरह से बदलाव आया है। आज मीडिया या सोशल मीडिया में राहुल गांधी वैसे नहीं हैं जो 70 दिन पहले थे। उन्होंने कहा कि 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा का फायदा यह है कि वह (राहुल) बिना किसी बिचौलिए के, लोगों के साथ सीधे संपर्क में हैं। इसका नतीजा यह है कि असली राहुल गांधी सबके सामने हैं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि, यात्रा का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है और यह एक अलग पहल है। उन्होंने कहा, यह एक राजनीतिक दल की यात्रा है और हम समाज में आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण जैसी राजनीतिक चुनौतियों से लड़ रहे हैं। यात्रा में शामिल 90 फीसदी लोग राजनीतिक हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद केस में अखिलेश व ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा

■ **वाराणसी की जिला अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।**

■ **कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाये। याचिका में कहा गया था कि, दोनों नेताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ टी.वी. चैनल्स पर बयानबाजियां की थीं, जिससे हिंदुओं की भावनायें आहत हुई हैं।**

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने ओवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका मंजूर कर ली है। पोषणीयता को लेकर चल रही बहस पर वादी वकील हरिशंकर पांडेय को बड़ी जीत हासिल हुई है। ओवैसी और अखिलेश यादव ने टी.वी. चैनलों पर बयानबाजी की थी।

गौरतलब है कि कोर्ट मंगलवार की दोपहर बाद करीब दो बजे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ज्ञानवापी पर दिए विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई कर रहा था। इस मामले में पूर्व में भी सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया था। आज ये सुनवाई ए.सी.जे.एम. पंचम एम.पी./एम.एल.ए. उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में हुई। गौरतलब है कि इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय के प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी प्रकरण में अनर्गल टिप्पणी कीं, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हुई है। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।

अन्ततोगत्वा रिपब्लिकन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोशल मीडिया के माध्यम से हुए ट्रम्प के हमले के बाद से डीसैन्टिस ने उनके खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन लगता है कि ट्विटर पर डीसैन्टिस का मुख्य फोकस तूफान "निकल" से हुई तबाही के बाद ही स्थिति को फिर से व्यवस्थित करने पर है। इस तूफान से फ्लोरिडा के पूर्व तट पर गुरूवार को तबाही मची थी तथा इसे प्रथम श्रेणी का तूफान माना गया था। गवर्नर डीसैन्टिस की रेपिड रिस्पांस डायरैक्टर क्रिस्टिना पुशॉ ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि "तूफान से ध्वस्त हुई सड़क को साढ़े सात घंटे में दुरूस्त कर दिया गया। यदि यहां अभी डैमोक्रेट्स की सरकार होती तो इस काम में महीनों-साल लग जाते। फ्लोरिडा के नेतृत्व का आभार।"

डीसैन्टिस ने हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है कि वह वर्ष 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ में हिस्सा लेंगे, जबकि ट्रम्प ने फ्लोरिडा बीच स्थित "मार-ए-लागो" रिज़ार्ट से मंगलवार को इसको लेकर एक बड़ी घोषणा की। डिसैन्टिस के सहयोगियों को उम्मीद है कि मई माह में होने वाले फ्लोरिडा के विधानसभा सत्र के बाद ही वह वर्ष 2024 को अपनी योजनाओं की घोषणा करेंगे।

रिपब्लिकन्स में डीसैन्टिस और ट्रम्प के अलावा जिन नेताओं को राष्ट्रपति चुनाव के संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, उनमें देश के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ, साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली और वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन योंग्किन शामिल हैं।

मैनपुरी सीट पर भाजपा ने शिवपाल यादव के नजदीकी को टिकट दिया

भाजपा ने उम्मीदवार उतारकर मुकाबला बेहद रोचक कर दिया है

लखनऊ, 15 नवम्बर। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी से रघुराज सिंह शाक्य इस चुनाव में डिंपल के खिलाफ खड़े हुए हैं और वह बुधवार को नामांकन करेंगे। ये वही रघुराज हैं, जिन्हें शिवपाल सिंह यादव का करीबी माना जाता है। हैरानी की बात ये भी है कि एक तरफ शिवपाल के करीबी डिंपल के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए हैं, वहीं यू.पी. में सपा ने जो अपने स्टार प्रचारक घोषित किए हैं, उसमें शिवपाल सिंह यादव भी हैं।

■ **पहले तो माना जा रहा था कि, शायद भाजपा मुलायम सिंह के सम्मान में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी।**

■ **देखना यह है कि, शिवपाल यादव अपने ही बेहद करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य के खिलाफ किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं।**

मैनपुरी सीट सपा के पूर्व अध्यक्ष व यू.पी. के सी.एम. रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि मुलायम सिंह के सम्मान में भाजपा इस सीट से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन आखिरी वक्त में भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव समेत अन्य राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मगर पूरे देश की निगाह मैनपुरी लोकसभा सीट पर है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने यहां से रघुराज सिंह शाक्य को खास रणनीति के तहत उतारा है।

रघुराज सिंह शाक्य मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वहीं इससे पहले वह 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर इटावा के सदर सीट से सांसद रह चुके हैं। साथ ही 2012 में इटावा के सदर से विधायक रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में फूट पड़ने के बाद वह शिवपाल यादव के साथ हो लिए थे, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य उनके काफी करीबी थे। मगर यू.पी. इलेक्शन 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए। शाक्य मूल रूप से इटावा के निवासी हैं। उनके पिता रामसिंह शाक्य भी पूर्व सांसद रह चुके हैं।

सरदारशहर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घोषणा की गई है।

पिंचा पर एक बार फिर से भरोसा जताने में दिलचस्प बात यह है कि वह 4 विधानसभा चुनावों में हार का सामना कर चुके हैं उन्हें अब छठी बार टिकट दिया जा रहा है। भाजपा के सियासी गलियारों में भी इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इधर सियासी गलियारों में चर्चा है कि अशोक कुमार पिंचा को प्रत्याशी बनवाने में भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और रतनगढ़ से भाजपा विधायक अभिनेष महर्षि की जमकर चली।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी चूरू जिले के राजगढ़ के ही मूल निवासी हैं। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं की सिफारिश पर ही पिंचा पर पार्टी ने फिर एक बार भरोसा जताया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पिंचा पूर्व मुख्यमंत्री वसुधरा राजे के समर्थक हैं। पहले भी राजे ने हारने के बाद भी पिंचा को टिकट दिया था। यह भी कहा जा रहा है कि संगठन के नेता इस सीट पर किसी जाट या ब्राह्मण पर दाव खेलना चाहते थे, लेकिन अन्त में पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने पिंचा का टिकट दिया। पिंचा ने 1998 में भाजपा के टिकट पर पहली बार सरदारशहर सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

उसके बाद 2003, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव पिंचा जीत गए थे। उन्होंने इसमें कांग्रेस प्रत्याशी भंवरलाल शर्मा को हराया था। चौबीस जुलाई 1960 को जन्मे अशोक कुमार पिंचा ने बीकॉम और बीएएमएस की पढ़ाई की है। वह शुरू से ही संघ से जुड़े रहे हैं और आरएसएस और जनसंघ के कार्यक्रमों में बढ़ -चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं।

अशोक कुमार ने पहली बार 1990 में हुए पालिका के चुनाव में पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। वर्ष 1995 में वह सरदारशहर पालिका में उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद उन्होंने 1998 में भाजपा के टिकट पर पहली बार सरदारशहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनकी पत्नी सुषमा पिंचा वर्ष 2015 में सरदारशहर नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई थीं। कांग्रेस नेता भंवर लाल शर्मा के निधन के कारण यहां विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। वह गत विधानसभा चुनाव में सरदारशहर से विधायक निर्वाचित हुए थे।

प्रेस काउन्सिल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निगमों द्वारा इसे दिये गए विज्ञापनों ने, विज्ञापनों से होने वाली आय के लिहाज़ से, इसे नौवे स्थान पर उतार दिया है। इस अखबार द्वारा पेश किये गये तथ्यात्मक आँकड़े दर्शाते हैं कि, इसे वर्ष 2020 के प्रथम 10 महीनों तथा वर्ष 2022 के प्रथम सात महीनों में राज्य के डायरैक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन (डी.आई.पी.आर.) से शून्य विज्ञापन प्राप्त हुये, अर्थात् कोई विज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। सन् 2021 में भी, जब पी.सी.आई. ने भेदभाव बरतने के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, तब कहीं जाकर इसे करीब 10 प्रतिशत जैसी नगण्य राशि के ही विज्ञापन जारी किये गये।

जाँच रिपोर्ट में, "भेदभाव पूर्ण तरीके" तथा राज्य सरकार की "मॉडल एडवरटिज़मैंट पॉलिसी गाइड, 2014" के उल्लंघन को दर्शाने वाले बयान के लिये मुख्यमंत्री पर प्रहार किया गया है। पी.सी.आई. ने राज्य सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह मामला प्रैस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र की परिधि में नहीं है तथा इसलिये इसे राज्य सरकार को कोई भी निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र केवल समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों तक सीमित है।

पी.सी.आई. इस अखबार की इस बात से सहमत थी कि, राज्य सरकार ने क्षेत्राधिकार के मुद्दे को जाँच रोकने के उद्देश्य से उठाया है, जबकि संसद के एक अधिनियम के जरिये स्थापित पी.सी.आई. के उद्देश्य में साफ तौर पर कहा गया है कि, इसका उद्देश्य भारत में प्रैस की स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करना तथा प्रैस के स्तर का सुधार करना है। पी.सी.आई. एक्ट, 1978 की धारा 13(1) इसी सिद्धांत को साकार करती है तथा धारा 13(2) आगे पुन: कहती है कि, प्रैस काउंसिल का मुख्य काम समाचार एजेंसियों तथा समाचार पत्रों की, उनकी स्वतंत्रता बनाये रखने के मामले में, मदद करना है।

'पी.सी.आई. "सैंसर बोर्ड" नहीं है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पल के दौरान ज़बान फिसलने की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान के बाद वहां बैठे पत्रकारों ने तुरंत कहा कि उनका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। तब मुख्यमंत्री गहलोत ने अहंकार से मुस्कराते हुए कहा कि "अच्छा है, आप में से कई हैं जो मुझे खुश करना चाहेंगे।"

प्रैस काउन्सिल ने मुख्यमंत्री के उक्त बयान के खिलाफ 13 जनवरी, 2020 को स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुति के लिये नोटिस भेजा था।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से पिछले तीन साल में कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री ने मीडिया को धमकी दी थी, बल्कि जब प्रैस काउन्सिल की इन्क्वायरी कमेटी ने सरकार की विज्ञापन नीति और 2020 से जारी किये गये विज्ञापनों का रिकॉर्ड मांगा तो तब यह जाहिर हो गया था कि सरकार अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहती और तारीख ले-लेकर मामले को आगे खिसकाना चाहती है। प्रैस कांउसिल की कमेटी ने कई बार सरकार की तारीख लेने की आदत पर नाराजगी भी जताई थी।

पर यह मामला केवल मीडिया को दी गई धमकी का ही नहीं है बल्कि धमकी को अमल में लाने के तरीकों का भी है। क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी ही विज्ञापन नीति के खिलाफ जाकर जबानी आदेश से राष्ट्रदूत अखबार के सभी विज्ञापन बंद कर दिए थे, और 2020 से अभी तक यही स्थिति है। जबकि सरकार द्वारा प्रैस काउन्सिल में दिये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रदूत प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा अखबार है। जवाब में राष्ट्रदूत ने यह भी स्पष्ट किया कि गहलोत के बयान की इस अखबार ने कड़ी आलोचना की थी और उसके बाद समय-समय पर प्रमाणों पर आधारित आलोचना की थी। इसके फलस्वरूप राष्ट्रदूत को तीन साल में पूर्व वर्षों के अनुपात में केवल 10 प्रतिशत विज्ञापन ही जारी किये गये जो प्रसारण संख्या के आधार पर प्रदेश के 14वें नम्बर के अखबार से भी कम हैं। इसके अलावा भी सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों के आंकड़ों में कई अखबारों के साथ भेदभाव किया गया है। जब राज्य सरकार से राष्ट्रदूत को विज्ञापन नहीं दिए जाने के बारे में पूछा गया तो अपना पक्ष रखते हुए राज्य सरकार ने पी.सी.आई. की जांच समिति को कहा कि राष्ट्रदूत अखबार हमारे मुख्यमंत्री की बहुत ही ज्यादा आलोचना करता है। परन्तु उल्लेखनीय है कि जब से सरकार सत्ता में है कभी उसने अखबार में छपी किसी भी "आलोचनात्मक खबर" का खंडन नहीं किया ना ही पी.सी.आई. में शिकायत की।

■ **पी.सी.आई. के आदेश में यह कहा गया कि, विज्ञापन सरकारी अनुदान नहीं हैं, और यह सरकार की मनमानी से नहीं दिए जा सकते। पी.सी.आई. ने यह भी कहा है कि, विज्ञापन जारी करना राजनीतिक प्रतिबद्धता से निर्धारित नहीं हो सकता।**

इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि 24 मार्च 2021 में राज्य सरकार द्वारा प्रैस काउन्सिल में जवाब दायर किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पी.सी.आई. का कार्यक्षेत्र केवल न्यूज एजेंसियों तथा अखबारों को "सैंसर" करने का है।

सरकार की इस दलील के जवाब में राष्ट्रदूत की ओर से पी.सी.आई. को पत्र लिखा गया और स्पष्ट किया गया कि प्रैस काउन्सिल की स्थापना भारत में प्रैस के स्तर को बेहतर करने और मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिये किया गया था। प्रैस काउन्सिल एक्ट 1978 की धारा 13(1),13(2)(ए) इन्हीं सिद्धांतों को स्थापित करता है। उल्लेखनीय है कि पी.सी.आई. का गठन 1966 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रैस कमीशन की बैठक के बाद किया गया था।

पी.सी.आई. ने 15 नवम्बर को प्रकाशित अपने फैसले में कहा है कि प्रैस काउन्सिल की स्थापना यकीनन देशभर में अखबारों-न्यूज एजेंसियों की स्वतंत्रता को बचाने के लिये हुई थी। इस आदेश में आगे कहा कि प्रैस काउन्सिल एक्ट,1978 के तहत पी.सी.आई. को ऐसी किसी भी गतिविधि या नीति पर नजर रखनी होती है जिससे जनहित में जारी न्यूज के प्रसारण और प्रकाशन में बाधा उत्पन्न हो। पी.सी.आई.ने आगे कहा कि सरकार की विज्ञापन नीति तदर्थ नहीं हो सकती और यह नीति तर्क संगत मापदंडों पर चलनी चाहिये। आदेश में आगे कहा गया है कि "राजनीतिक कारण" विज्ञापन जारी करने की नीति को प्रभावित नहीं कर सकते। विज्ञापन अखबारों की आर्थिक व्यवहार्यता के लिए आवश्यक है।

पी.सी.आई.ने अपने आदेश में कहा है कि विज्ञापन अनुदान नहीं है और इसे प्रशासन अपनी इच्छानुसार जारी नहीं कर सकता। पी.सी.आई. की इंक्वायरी कमेटी ने सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और राष्ट्रदूत द्वारा उन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर पेश किये गये तथ्यों को देखा और कहा कि ऐसा जाहिर है कि विज्ञापन जारी करने में राष्ट्रदूत के साथ पक्षपात किया गया है जिससे साफ जाहिर है कि गहलोत सरकार ने ना केवल मीडिया को धमकी दी है बल्कि अपना नजरिया प्रकाशित करने के लिये धमकी पर अमल भी किया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600